भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :1427
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 (24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सबरीमाला अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

1427. श्री हैबी ईडन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में सबरीमाला अंतरर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को पूरा करने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त विमानपत्तन को पूरा करने के लिए विगत एक वर्ष के दौरान कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) **:** केरल सरकार ने कोट्टायम जिले में एरुमेली के पास कोट्टायम (सबरीमाला) में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास की परिकल्पना की है, जिसके लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति 2008 के अंतर्गत अप्रैल 2023 में पहले ही "साइट क्लीयरेंस" प्रदान कर दी है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने भी जुलाई 2023 में परियोजना के लिए संदर्भ शर्तें (टीओआर) प्रदान की हैं और राज्य सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन किया है।

जीएफए नीति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण, आर एंड आर आदि सहित हवाईअड्डा परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित परियोजना प्रस्तावक, अर्थात केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (केएसआईडीसी) की है, जो केरल राज्य सरकार की एक एजेंसी है। केएसआईडीसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना आवश्यक है, जिसमें विकास योजना, परियोजना लागत और वित्तपोषण, यातायात अनुमान, परियोजना के पूरा होने की समयसीमा आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। जीएफए नीति 2008 के अनुसार, इस रिपोर्ट के पूरा होने पर विकास कार्य शुरू होने से पहले, एक आवेदन के साथ इस रिपोर्ट को "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान करने हेतु भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

*****